

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

— 0 —

:: आदेश ::

31 MAR 2023


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2023

क्रमांक एफ 1-15/2022/38-1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.01.2023 के सरल क्रमांक 04 में श्रीमती मंजू दाण्डेकर, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) को शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3, जिला-दुर्ग से स्थानांतरण करते हुए शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर, जिला-कांकेर में पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मंजू दाण्डेकर को शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3, जिला-दुर्ग में यथावत रखा जाता है।

2/ श्री योगराज साहू, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र), शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी को स्थानांतरण कर, उसी हैसियत में शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर, जिला-कांकेर में पदस्थ करता है।

3/ उक्त स्थानांतरण हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2023

पृ.क्रमांक एफ 1-15/2022/38-1,
प्रतिलिपि :-

31 MAR 2023

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर (छ.ग.),
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
04. आयुक्त, दुर्ग/बस्तर संभाग (छ.ग.),
05. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
06. कलेक्टर, जिला-दुर्ग/कांकेर (छ.ग.),
07. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा (छ.ग.),
08. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

निरंतर.....

09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दुर्ग/कांकेर (छ.ग.),
10. प्राचार्य शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर, जिला-कांकेर (छ.ग.),
11. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.),
12. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3, जिला-दुर्ग
13. निज सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,
14. श्री योगराज साहू, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र), शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी,
15. श्रीमती मंजू दाण्डेकर, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) को शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3, जिला-दुर्ग,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग